समिति का नाम–चौ0 विजय बहादुर सिंह ग्रामोत्थान शिक्षा समिति
ग्रा0/पो0 अटराकलां (जालौन)
प्रबन्धकारिणी समिति की सूची
सत्र 2019–20

क0 सं0	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	पद	पता
1	श्री रामकृष्ण पाल सिंह	श्री महाराज सिंह	अध्यक्ष	ग्रा0पो0 शैया जिला आगरा
2	चौ0 विष्णुपाल सिंह	चौ0 शंकर सिंह	प्रबंधक	ग्रा0पो0 अटराकलां जिला जालौन
3	श्री भूप सिंह	श्री अतर सिंह	उपाध्यक्ष	ग्रा0 धामिनी पो0 दमरास जिला जालौन
4	श्री वैदेही शरण सिंह	श्री रामअनुग्रह सिंह	उपप्रबंधक	ग्रा0पो0 लोहागढ़ जिला झांसी
5	श्री राम इषित सिंह	श्री रामअनुग्रह सिंह	कोषाध्यक्ष	ग्रा0पो0 लोहागढ़ जिला झांसी
6	श्री जितेन्द्र पाल सिंह	श्री हनुमन्त	सदस्य	ग्रा0पो0 जगनेवा जिला जालौन
7	श्री अजय पाल सिंह	श्री हनुमन्त	सदस्य	ग्रा0पो0 जगनेवा जिला जालौन
8	श्री दुर्गेश प्रताप सिंह	चौ0 विष्णुपाल सिंह	आजीवन सदस्य	ग्रा0पो0 अटराकलां जिला जालौन
9	श्री डॉ0 अनिल सक्सेना	श्री कृष्णबिहारी सक्सेना	सदस्य	रामनगर उरई (जालौन)
10	श्रीमती डॉ0 प्रोमिला सिंह	श्री रामकृष्ण पाल सिंह	सदस्य	ग्रा0पो0 खण्डारी जिला आगरा
11	श्रीमती इच्छा राजे	चौ0 विष्णुपाल सिंह	सदस्य	760, रामनगर उरई (जालौन)

समिति का नाम – चौ0 विजय बहादुर सिंह ग्रामोत्थान शिक्षा समिति ग्रा0/पो0 अटराकलां (जालौन)

साधारण सभा की सूची

सत्र 2019–20

क0 सं0	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री रामकृष्ण पाल सिंह	श्री महाराज सिंह	अध्यक्ष	ग्रा0पो0 शैया जिला आगरा	समाज सेवा
2	चौ0 विष्णुपाल सिंह	चौ0 शंकर सिंह	प्रबंधक	ग्रा0पो0 अटराकलां जिला जालौन	समाज सेवा
3	श्री भूप सिंह	श्री अतर सिंह	उपाध्यक्ष	ग्रा0 धामिनी पो0 दमरास जिला जालौन	कृषि
4	श्री वैदेही शरण सिंह	श्री रामअनुग्रह सिंह	उपप्रबंधक	ग्रा0पो0 लोहागढ़ जिला झांसी	कृषि
5	श्री राम इषित सिंह	श्री रामअनुग्रह सिंह	कोषाध्यक्ष	ग्रा0पो0 लोहागढ़ जिला झांसी	कृषि
6	श्री जितेन्द्र पाल सिंह	श्री हनुमन्त	सदस्य	ग्रा0पो0 जगनेवा जिला जालौन	कृषि
7	श्री अजय पाल सिंह	श्री हनुमन्त	सदस्य	ग्रा0पो0 जगनेवा जिला जालौन	कृषि
8	श्री दुर्गेश प्रताप सिंह	चौ0 विष्णुपाल सिंह	आजीवन सदस्य	ग्रा0पो0 अटराकलां जिला जालौन	कृषि
9	कु0 शिप्रा सिंह	चौ0 विष्णुपाल सिंह	सदस्य	760, रामनगर उरई (जालौन)	समाज सेवा
10	श्री डॉ0 अनिल सक्सेना	श्री कृष्णबिहारी सक्सेना	सदस्य	रामनगर उरई (जालौन)	डॉक्टरी
11	श्रीमती डॉ0 प्रोमिला सिंह	श्री रामकृष्ण पाल सिंह	सदस्य	ग्रा0पो0 खण्डारी जिला आगरा	अध्यापन कार्य
12	श्रीमती इच्छा राजे	चौ0 विष्णुपाल सिंह	सदस्य	760, रामनगर उरई (जालौन)	समाज सेवा
13	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री राव इन्द्र पाल सिंह	सदस्य	ग्रा0पो0 बंगरा जिला जालौन	कृषि
14	श्री अनूप कुमार सिंह	श्री भगवत सिंह	सदस्य	ग्रा0पो0 कैलियां जिला जालौन	कृषि

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00666/2019-2020 दिनांक 14/01/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/JAL/03667/2019-2020 पत्रावली संख्या:J-13336 दिनांक:1999-2000

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **चौ0 विजय बहादुर सिंह ग्रामोत्थान शिक्षा विकास समिति, ग्रा0 पो0 अटराकला जिला जालौन, जलौन, 285123** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 492/1999-2000 दिनांक-30/12/1999 को दिनांक-30/12/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(RAVI KUMAR)
DD51F0DBCFFE912CB867CD71D15E331EA6714FA9
Date: 14/01/2020 4:24:30 PM, Location: Jhansi .

जारी करने का दिनांक-14/01/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

बैठक सं0 – 140

दिनांक – 30-10 2019

आज दिनांक 30/10/2019 को चौ0 विजय बहादुर सिंह ग्रामोत्थन शिक्षा विकास समित ग्रा0/पो0 अटराकलां जालौन की आम सभा की बैठक श्री रामकृष्ण पाल सिंह की अध्यक्षता में महाविद्यालय के सभागार में सायंकाल 4 बजे सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न प्रस्तावों पर विचार किया गया।

प्रस्ताव नं0 – 1
कार्यवाही की पिछली बैठक पर विचार

कार्यवाही की पिछली बैठक पढ़कर सुनायी गयी तथा सर्व सम्मति से उसकी पुष्टि की गई।

प्रस्ताव नं0 – 2
समिति के नवीनीकरण करवाने पर विचार

सर्व सम्मति से ऐसा तय किया गया कि समिति का नवीनीकरण अभिलम्ब कराया जावे जिससे संस्था के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो ऐसी सर्व सम्मति से पुष्टि की गई।

प्रस्ताव नं0 – 3
अन्य आवश्यक कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार

अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि अगला प्रस्ताव न होने के कारण बैठक समाप्त की जाती है कोरम पूर्ण रहा कार्यवाही समाप्त हुयी।

1. श्री रामकृष्ण पाल सिंह
2. श्री चौ0 विष्णुपाल सिंह
3. श्री भूप सिंह
4. श्री वैदेही शरण सिंह
5. श्री राम इषित सिंह
6. श्री जितेन्द्र पाल सिंह
7. श्री दुर्गेश प्रताप सिंह
8. श्री अजय पाल सिंह
9. कु0 शिप्रा सिंह
10. श्री डॉ0 अनिल सक्सेना
11. श्रीमती डॉ0 प्रोमिला सिंह
12. श्रीमती इच्छा राजे
13. श्री भूपेन्द्र सिंह
14. श्री अनूप कुमार सिंह

हस्ताक्षर अपठनीय

सत्यापित

रामकृष्णपालसिंह

सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एण्ड चिट्स, उत्तर प्रदेश

971, झोकन बाग, झाँसी उ0प्र0

पत्रांक : 1832 J-13336

दिनाँक 21-01-2020

श्री/श्रीमती चौधरी विष्णुपाल सिंह (प्रबंधक),
संस्था - चौ० विजय बहादुर सिंह ग्रामोत्थान शिक्षा
विकास समिति, पता - ग्रा०पो० अटराकला जिला -
जालौन (उ०प्र०).

संस्था के पंजीकरण के नवीनीकरण से सम्बन्धित आपके पत्रांक....................के सन्दर्भ में सूचित करना है कि :–

(1) संस्था की निबन्धन संख्या/तिथि तथा पत्रावली संख्या अंकित नहीं की गई है जिसके कारण प्रस्तुत प्रपत्रों पर कार्यवाही सम्भव नहीं है। कृपया उक्त सन्दर्भों सहित ही प्रपत्र प्रस्तुत करें और इस कार्यालय से प्रत्येक पत्र व्यवहार में उक्त सन्दर्भ देने का ध्यान भविष्य में अवश्य रक्खें।

(2) संदर्भित नवीकरण किया जा चुका है एवं तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें तथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860, उ0प्र0 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1976 और अन्य संगत नियमों के अन्तर्गत ही संस्था का संचालन करें।

(3) नवीकरण हेतु एक वर्ष से ही अधिक विलम्ब से आवेदन करने के फलस्वरूप संख्या अपंजीकृत हो चुकी हे। अतः बिना पर्याप्त कारणों के संस्था का नवीकरण करना सम्भव नहीं है। संस्था द्वारा आवेदन किये जाने पर उसके पुनः पंजीकरण पर विचार किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में आपके मार्ग–दर्शन हेतु "निर्देश–पत्र" की प्रति संलग्न है। {धारा 3ए(5)}।

(4) कृपया दिनांक ....से ....तक के नवीकरण हेतु रू0.................... नवीकरण शुल्क तथा रू0 ....विलम्ब शुल्क का बैंक ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स, उ0प्र0 लखनऊ अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय सहायक निबन्धक के पदनाम से प्रस्तुत करें। कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करने की स्थिति में उक्त शुल्क नकद भी जमा किया जा सकता है। (धारा 3ए तथा नियम 9)।

(5) कृपया पिछला प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करें। मूल प्रमाण–पत्र खो जाने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से न प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में वास्तविक तथ्यों का उल्लेख करते हुए नोटरी शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस शपथ–पत्र में यह भी लिखा जाना चाहिऐ कि संस्था में कोई प्रबन्धकीय विवाद नहीं है। {धारा 3ए(4)}।

(6) कृपया जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस तथ्य का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि संस्था में कोई प्रबन्धकीय विवाद नहीं है और संस्था के वर्तमान प्रबन्धक अमुक सज्जन हैं।

(7) कृपया ....वर्षों की वर्षवार अलग–अलग प्रबन्ध समिति की सूची, जिसमें सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय तथा पद का उल्लेख हो, प्रस्तुत करें। प्रत्येक वर्ष की सूची अलग–अलग पृष्ठ पर होनी चाहिये चाहे वही सूची अगले वर्ष भी क्यों न लागू हो। {धारा 3ए तथा 4(1)}।

(8) यदि प्रबन्ध समिति में परिवर्तन हुआ हो तो उस वर्ष की सूची पर भूतपूर्व पदाधिकारियों व सदस्यों के हस्ताक्षर कराये जाने चाहिये जो अब इस सूची में नहीं है। कृपया वर्ष ....की सूची पर भूतपूर्व पदाधिकारियों/सदस्यों के भी हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत करें। {धारा 3ए तथा 4(1)}।

(9) वर्ष ....से सम्बन्धित प्रबन्ध समिति की सूची संस्था के पंजीकृत नियमावली में अंकित पदों के अनुरूप नहीं है। कृपया इसका कारण स्पष्ट करें तथा पुनरीक्षित सही सूची प्रस्तुत करें।

(10) कृपया सूचित करें कि संस्था के विधान के अनुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव कब होता था और वास्तव में कब कराया गया। प्रबन्ध समिति के प्रत्येक चुनाव की कार्यवाही प्रस्तुत करें। यदि संस्था के विधान में निर्धारित अवधि/तिथि के अनुरूप संस्था के प्रबन्ध समिति का चुनाव नहीं हुआ है तो यह भी स्पष्ट करें कि उक्त चुनाव समय से पूर्व/पश्चात् कराने के क्या कारण थे और क्यों न उक्त चुनाव को अमान्य कर दिया जाय (धारा–25)।

(11) प्रस्तुत कार्यवाही/चुनाव कार्यवाही में उल्लेख होना चाहिये कि समिति में कुल कितने सदस्य हैं और इसके समक्ष कितने सदस्य बैठक में उपस्थित थे और क्या नियमानुकूल कोरम पूरा था। कृपया तदनुसार स्थिति स्पष्ट करें और कार्यवाही प्रस्तुत करें।

Note – संस्था की प्रबंधसमिति सूची वर्ष 2019-20 पंजीकृत कर दी गयी है यदि उक्त के क्रम मे कोई अन्य तथ्य प्रकाश मे आता है तो सूची स्वतः प्रभावशून्य मानी जावेगी।

(12) कृपया स्पष्ट करें कि कार्यवाही/चुनाव कार्यवाही 14 दिन के अन्दर ही इस कार्यालय को क्यों नहीं प्रस्तुत की गयी। {धारा 4(1)}।

(13) कृपया .... वर्ष के आय–व्यय लेखे/बैलेंस शीट प्रस्तुत करें और उन्हें समय से प्रस्तुत न किये जाने का कारण भी स्पष्ट करें। {धारा 4(2)}।

(14) प्रस्तुत आय–व्यय लेखे/बैलेंस शीट वर्ष .... सही नहीं है। उदाहरणार्थ उनमें गत वर्ष के अवशेष पहले वर्ष में सही/अंकित नहीं किये गये हैं, आय–व्यय की मदें अंकित नहीं की गयी हैं। कृपया त्रुटिपूर्ण लेखे प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट करते हुए सही लेखे प्रस्तुत करें।

(15) कृपया वर्ष .... के आय–व्यय लेखे/बैलेंस शीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें (धारा 23)।

(16) उद्देश्यों में परिवर्तन हेतु सर्वप्रथम प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन पारित किये जाने चाहिये। इसके 10 दिन बाद साधारण सभा की एक दूसरी विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से उक्त प्रस्ताव पारित किये जाने चाहिये और इस बैठक के एक माह के अन्तराल पर साधारण सभा की एक दूसरी विशेष बैठक 3/5 बहुमत से उक्त प्रस्ताव का पुष्टिकरण किया जाना चाहिये। इस बैठक के एक माह के भीतर ही उक्त सभी बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतियों सहित पुनरीक्षित स्मृति–पत्र जिसमें परिवर्तन उद्देश्यों का समावेश हो तथा मंत्री और प्रबन्ध समिति के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हों, के साथ पुनरीक्षित स्मृति–पत्र के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाना चाहिये। कृपया निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करें। रजिस्ट्रार द्वारा उक्त स्मृति–पत्र के पंजीकरण (फाइल) के लिये जाने की सूचना जारी हो जाने पर ही संशोधित उद्देश्य मान्य होंगे। (धारा 12 तथा नियम 5)।

(17) संस्था के पते तथा नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही की सूचना नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण (फाइल) करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये। संस्था के नियमों के परिवर्तन की स्थिति में संस्था की संशोधित सम्पूर्ण नियमावली भी उसे पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये। कृपया तद्नुसार तत्सम्बन्धी कार्यवाही तथा संशोधित नियमावली प्रस्तुत करें। कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे। (धारा 4ए तथा नियम 5)।

(18) संस्था के नाम परिवर्तन हेतु रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुमति हेतु अनुरोध करने तथा अनुमति प्राप्त होने पर संस्था द्वारा साधारण सभा की विशेष बैठक में 2/3 बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव की संशोधित स्मृति–पत्र/नियमावली के प्रति के साथ रजिस्ट्रार को परिवर्तित नाम का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करें। रजिस्ट्रार द्वारा परिवर्तित नाम का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने पर ही परिवर्तित नाम मान्य होगा। (धारा 12 तथा नियम 5 व 12)।

(19) संस्था द्वारा धारा 4 व 4ए के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति की वार्षिक सूची व अद्यावधिक नियमावली की प्रमाणिक प्रतिलिपि नहीं प्रस्तुत की गयी है। कृपया 30 दिनों के अन्दर सूचित करें कि क्यों न संस्था के विरूद्ध अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाय।

(20) ....

....

(21) ....

....

कृपया उपरोक्त सभी प्रपत्र पृष्ठ के एक ही और टंकित कराकर सभी पृष्ठों पर संस्था के सेक्रेटरी तथा प्रबन्धकारिणी समिति के कम से कम तीन सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर तथा संस्था की मोहर लगाकर इस पत्र के जारी होने की तिथि के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें (नियम 5)। तीन माह से भी अधिक विलम्ब से उक्त प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उस पर कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकेगी।

संलग्नक :– (1)

(2)

(3)

सहायक रजिस्ट्रार, झांसी।

21-01-2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

S.N. Tiwari
Orai Jalaun
N 49/19/2000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नवी० / शपथ पत्र

समक्ष श्रीमान् सहायक रजिस्ट्रार महोदय

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स झाँसी ।

शपथपत्र मिनजानिब— श्री० विष्णु पाल सिंह ग्राम/पो० आटा कलाँ जिला जालौन निम्नलिखित है–

1. यह कि संस्था — श्री० विजय बहादुर सिंह ग्रामोत्थान शिक्षा जालौन निर्विवाद प्रबंधक हूँ व दिनाँक– 30/10-19 को साधारण सभा के बहुमत से चयनित है । प्रबन्ध समिति आटा कलाँ
2. यह कि धारा 04 बी के प्रपत्र मेरे द्वारा एक माह में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ।
3. यह कि संस्था की प्रबंधसमिति किसी भी कार्यालय/न्यायालय में विवादित नहीं है ।
4. यह कि संस्था को कोई भी रूप्ये का दान, अनुदान प्राप्त नहीं हुआ जिसका लेखांकन किया गया और संबधित वर्षो के आय व्यय में सम्यक रूप से दर्शाया गया है कोई तथ्य गोपनीय नहीं है ।
5. यह कि संस्था को किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया ।
6. यह कि संस्था द्वारा निम्नलिखित (शैक्षिक, वैंज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामोद्योग तथा धार्मिक) गतिविधियों संचालित की जा रही है । सम्पादित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण आय व्यय लेखें के साथ अलग –अलग संलग्न किया गया है ।
(अ) समाजिक कार्यो का संचालन किया जाता है ।
7. संस्था तथा उसके द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं की स्थायी परिसम्पत्तियों का विवरण पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है ।

सत्यापन

मैं तसदीक करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की धारा 01 लगायत 07 मेरे जातीय इल्म से सब सही व सच है इसमें कोई तथ्य गलत व छिपाया नहीं गया है तसदीक हाता कचहरी झांसी में की गयी ।

शपथकर्ता

PUBLIC NOTARY
S.N. TIWARI
31/10/19

Swan to … Orai Jalaun … Regd. No. 49/19/2000 … in this document … Sir…… know to me … have received my fees

S.N. Tiwari
Notary Orai Jalaun